न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

,0न0	किस्म मु0	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
06/19	धारा 91	28.01.19	~~28.02.19~~ 11-3-19.

उनवान सरकार बनाम दौलाराम पुत्र अर्जन जाति गुर्जर नि0कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिर्पोट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै0मु0 नाला में ख0न0 234 रकबा 0.50है0 किस्म गै0मु0 नाला में 0.05 है0 भूमि पर दौलाराम पुत्र अर्जन जाति गुर्जर नि0कुठानिया ने अवैध गैहू की फसल कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिर्पोट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अत्रिकमी अनुपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिर्पोट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गैहू की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.35 की 50 गुणा जुर्माना राशि 18/– रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसुली/कुर्क शुद्धा फसल को निलामी कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक ~~28.02.19~~ खुले न्यायालय सुनाया गया।
11-3-19

उप तहसीलदार
सिंघाना झुन्झुनु

Scanned with CamScanner